अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority

सं. 202, पोर्ट ब्लेयर, बृहस्पतिवार, 11 सितम्बर, 2003
No. 202, Port Blair, Thursday, September 11, 2003

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 11 सितम्बर, 2003

ण्डमान तथा निकोबार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) नियम, 2003

सं. 166/2003/फा.सं. 50/560/2000-वि.—अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह खादी तथा ग्रामोद्योग विनियम 1988 (1988 का सं. 1) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप ाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह दिनांक 5.12.2001 के अधिसूचना सं. 2001/फा.सं. 50-469/2001-विकास में प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह खादी तथा ोग बोर्ड नियम 2001 में निम्नलिखित संशोधन करते है अर्थात :-

क्षिप्त शीर्ष, प्रारम्भ तथा विस्तार :-

) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) नियम 2003 कहा जाएगा ।

i) इसका विस्तार अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संपूर्ण संघ शासित प्रदेश में होगा ।

ii) यह इसके सरकारी राजपत्र से प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

शोधन :-

अण्डमान तथा निकोबार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड नियम 2001 के नियम 15 बी के खण्ड के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को किस उद्देश्य के लिए सहायता अनुदान किया जाए ।

(क) प्रशासक प्रत्येक वित्त वर्ष में बोर्ड को विनियम के अन्तर्गत अपेक्षित उनके कार्यों के लिए, आवश्यक समझे, ऐसी राशि की मंजूरी देगा ।

(ख) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अदा किए जाने वाले सहायता अनुदान निम्नलिखित उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा अर्थात्:-

(i) बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्यों, वित्त सलाहकारों, मुख्य लेखा अधिकारी, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन तथा पारिश्रमिक, जिसमें कार्यालय खर्च भी शामिल है, के खर्च को पूरा करना ।

(ii) कर्मचारी के लिए भविष्य निधि योजना, पेंशन तथा उपदान की अदायगी हेतु खर्च को पूरा करना ।

17. सहायता अनुदान

(i) प्रशासक आवर्ती/अनावर्ती खर्च के संबंध में बोर्ड से प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रदत वित्त शक्ति नियम के नियम 20 के अन्तर्गत प्रदान किए गए प्रशासक के अनुमोदन अनुसार बजट के आधार पर तिमाही आधार पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमह खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए सहायता अनुदान मंजूर करेगा । आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च का विवरण आवेदन के साथ अण्डमान तथा निकाबार प्रशासन को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) यह बोर्ड सहायता अनुदान के संबंध में अलग से लेखा का रख-रखाव करेगा । यह लेखा भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक/ भारत सरकार/ संघ शासित प्रदेश प्रशासन के कार्यालय के अधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा । बोर्ड के पास लेखा-परीक्षा की हुई सहायता अनुदान का लेखा होगा और प्रशासन को लेखा का निम्नलिखित लेखा परीक्षा की गई विवरण की प्रतियों का पूरा सेट प्रस्तुत करना होगा :-

(क) पिछले वर्ष की दौरान मजूंर की गई सहायता अनुदान के संबंध मे लेखा की प्राप्ति तथा अदायगी विवरण
(ख) पिछले वर्ष के दौरान लेखा के आय तथा व्यय का विवरण
(ग) तुलन-पत्र
(घ) वास्तविक प्राप्ती का मदवार खर्च के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र (जी.एफ.आर.-19-ए) अनुदान की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए ।
(ड) सामान्य वित्त नियम के नियम 151(4) में दिए गए निदेश क अनुसार अनावर्ती अनुदान में से निर्मित परिसम्पति के संबंध में निर्धारित फार्म (जी.एफ.आर.-19) में विवरण देना

(iii) यह बोर्ड परियोजना पर निष्पादन एवं उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसके लिए सहायता अनुदान प्राप्त किया गया है ।

(iv) यह बोर्ड मंजूर किए गए उद्देश्यों के अलावा सहायता अनुदान को अन्य जगह खर्च नहीं करेगा ।

(v) यदि सरकार द्वारा बाद में देय अनुदान में उस बकाया राशि का समायोजना न किया गया हो तो बोर्ड संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद सहायता अनुदान की राशि में से खर्च न हुई बकाया राशि को वापस करेगा ।

(vi) सहायता अनुदान में से पूर्ण या आंशिक रूप से प्राप्त किसी भी परिसम्मति का निपटान या विलंगम नहीं किया जाएगा और या मंजूर किए गए उद्देश्य के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं लाया जाएगा ।

ह./-

(एन.एन.झा)

उप राज्यपाल

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से या उनके नाम पर

ह./-

(अब्दूल अजीज)

सहायक सचिव (उद्योग)

GPPB—202/Gazette/03 — 170 Copies.(YSN)

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 202, पोर्ट ब्लेयर, बृहस्पतिवार, 11 सितम्बर 2003

No. 202, Port Blair, Thursday, September 11, 2003

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 11th September, 2003

ANDAMAN & NICOBAR KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD (AMENDMENT) RULES, 2003

No. 166/2003/F. No. 50-560/2000-Dev.I.—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Andaman and Nicobar Islands Khadi & Village Industries Board Regulation, 1988 (No. 1 of 1988), the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman & Nicobar Islands, hereby makes the following amendments in the Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board Rules, 2001 published vide Notification No. 219/2001/F.No. 50-469/2001-Dev. I, dated 05.12.2001, namely:—

1. SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND EXTENT :—

(i) These rules may be called the Andaman and Nicobar Khadi and Village Industires Board (Amendment) Rules, 2003.

(ii) It extends to the whole of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

(iii) It shall come into force on such date as the Administrator may by Notification in the official Gazette notify.

2. AMENDMENT :—

After clause (XV) of rule 15B of the Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board Rules, 2001 the following shall be added as under :

16. PURPOSE FOR WHICH GRANT-IN-AID MAY BE SANCTIONED TO THE ANDMAN AND NICOBAR ISLANDS KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD:

(a) The Administrator may pay to the Board in each financial year, grant of such sum of money as he may consider necessary for its functioning as required under the Regulation.

(b) The Grant-in-Aid paid to the Andaman and Nicobar Islands Khadi and Village Industries board shall be utilized for following purposes namely:—

(i) To meet expenses for salary and other remuneration of the Chairman, Vice Chairman, Secretary, Members, Financial Advisor and Chief Accounts Officer and other officers and employees of the Board Including office expenses.

(ii) To meet expenses for payment of Provident Fund Scheme, Pension and Gratuity for the

17. GRANT –IN-AID :—

(i) The Administrator will sanction Grants-in-Aid to Andaman and Nicobar Islands Khadi and Village Industries Board on quarterly basis on the basis of budget as approved by the Administrator as provided under Rule 20 of the Delegation of Financial Powers Rule on the basis of application received from the Board in respect of recurring/non-recurring expenditure. The details of recurring and non-recurring expenditure may be submitted to the A & N Administration alongwith application.

(ii) The Board will maintain separate accounts in respect of Grants-in-Aid . the accounts will remain open for inspection by the officers representatives from the office of the Comptroller and Auditor General of India / Government of India/ Union Territory Administration. The board will have the accounts of the Grants-in-Aid audited and submit the complete set of copies of the following Audited Statement of accounts to the Administration:—

(a) The Receipt and Payment Statement of accounts in respect of Grant-in-Aid sanctioned during previous year.

(b) The Income and Expenditure Statement of accounts in respect of previous year.

(c) The Balance Sheet.

(d) The Utilization Certificate (GFR-19-A) alongwith the item-wise expenditure actually incurred may be submitted alongwith application for sanction of grants.

(e) A statement in the prescribed form (GFR-19) in respect of Assets created from out of non-recurring grants in terms of the instructions contained in Rule 151 (4) of the General Financial Rules.

(iii) The Board shall submit performance-cum-achievement report on the projects for which it received Grant-in-Aid.

(iv) The Board will not divert Grant-in-Aid for the purposes other than for which sanctioned.

(v) The Board will refund any unspent balance of Grant-in-Aid immediately after the close of relevant financial year unless adjusted by the Government from the subsequent Grant, which may fall due.

(vi) No Assets acquired wholly or substantially from out of the Grant-in- Aid will be disposed off or encumbered and or otherwise utilized for the purpose other than for which sanctioned.

Sd/-
(N.N.JHA)
LIEUTENANT GOVERNOR,
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd/-
(Abdul Aziz)
Assistant Secretary (Ind.)

MGPPB—202/Gazette/06 — 175 Copies.(YSN)